Revision Case No –10/2018

District – Bhojpur

==========

M/s-Broadson Commodities Pvt. Ltd.

Vs.

Collector, Bhojpur & Ors.

==========

आदेश

25.10.2018 इस पुनरीक्षण वाद में दिनांक–24.10.2018 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान वादकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिनिधि एवं सहायक निदेशक, भोजपुर उपस्थित थे। यह वाद समाहर्त्ता, भोजपुर के आदेश ज्ञापांक–847/एम0, दिनांक–24.06.2018, पत्रांक–969, दिनांक–09.07.2018 के विरूद्ध दायर किया गया है।

वादी का कहना है कि आदेश ज्ञापांक–847, दिनांक–24.06.2018 से सारीमपुर बचरी बालू घाट से उत्खनन इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया है कि दिनांक–23.06.2018 को ट्रक चालकों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि परिवहन चालान में अंकित राशि से अधिक राशि की वसुली बालूघाटों पर की जा रही है एवं कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा भी इसे स्वीकार किया गया है। साथ ही पत्रांक–969, दिनांक–09.07.2018 द्वारा दिनांक–23.03.2018 से 23.06.2018 तक बालू प्रेषण के आँकड़ों के आधार पर अधिक वसूली मानते हुए ₹8,61,00,800/–की माँग की गयी एवं नीलाम पत्र संख्या–27/2018–19 भी प्रारंभ कर दिया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त आदेश बंदोबस्तधारी के बिना पक्ष रखे ही निर्गत है। जबकि बंदोबस्तधारी एवं ट्रांसपोर्टर के बीच कोई सह–संबंध नहीं होता है। इसलिए बंदोबस्तधारी को बिना सुने आरोप की पुष्टि मानते हुए माँग पत्र का निर्गमण एवं उत्खनन पर प्रतिबंध नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध है। अतः यह आवेदन स्वीकार योग्य है।

सहायक निदेशक, भोजपुर का कहना है कि चालान में अंकित दर से अत्याधिक राशि वसूली की शिकायत पर समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा दिनांक–23.06.2018 को निरीक्षण के दौरान सकड़ी–नासिरगंज सड़क पर बालू लदे ट्रक चालकों से अत्याधिक राशि वसूल करने के तथ्य सत्य पाये गये। इस तथ्य की प्रमाणिकता सारीमपुर बचरी एवं नारायणपुर बालूघाटों पर चालान निर्गत करने वाले ऑपरेटरों द्वारा भी स्वीकार की गयी है, जिसकी विडियोग्राफी भी उपलब्ध है।

सहायक निदेशक, भोजपुर का यह भी कहना है कि जिला खनन कार्यालय के पत्रांक–845, दिनांक–23.06.2018 द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर बंदोबस्तधारी से कारण–पृच्छा की गयी, जिसका प्रत्युत्तर दिनांक–17.07.2018 को समर्पित किया गया कि राज्य सरकार को विक्रय मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। जबकि कारण–पृच्छा अंकित राशि से अधिक राशि वसूली के संबंध में की गयी है। साथ ही ट्रक चालकों एवं ऑपरेटर द्वारा स्वीकार किया गया कि अत्यधिक राशि वसूल की जा रही है जो कि अवैध थी। इस बात की प्रमाणिकता के आधार पर ही समाहर्त्ता महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से उत्खनन पर रोक एवं माँग पत्र निर्गत किया गया है। अतः यह आवेदन अस्वीकार करने योग्य है।

दोनों पक्षों को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों को देखा। समाहर्त्ता के आदेश दिनांक–24.06.2018 में उल्लेख है कि अधिक राशि वसूली के बिन्दु पर बंदोबस्तधारी से जिला खनन कार्यालय के पत्रांक–846, दिनांक–24.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी है, जिसका जवाब अप्राप्त है। कारण पृच्छा निर्गत करने की तिथि एवं बालू उत्खनन पर रोक संबंधी आदेश के एक ही तिथि को निर्गत है। यह प्रतीत होता है कि उभय पक्ष द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा जा सका है।

अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की दृष्टिकोण से बंदोबस्तधारी को सुनकर उचित निर्णय 30 दिनों के अंदर लेने का निदेश समाहर्त्ता, भोजपुर को दिया जाता है। इस मामले का निष्पादन समाहर्त्ता द्वारा किये जाने तक बालूघाट संचालन पर प्रतिबंध संबंधी आदेश संख्या–847, दिनांक–24.06.2018 एवं मांग पत्र संख्या–969, दिनांक–09.07.2018 के कार्यान्वयन को स्थगित रखने का आदेश दिया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सारीमपुर बचरी बालू घाट पर स्थगन अवधि में बंदोबस्तधारी द्वारा उत्खनन के दौरान कोई अनियमितता पायी जाती है तो न्यायोचित निर्णय लेने के लिए समाहर्त्ता, भोजपुर स्वतंत्र होगें।

उपरोक्त के अनुसार यह वाद समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(अंशुली आर्या)
खान आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(अंशुली आर्या)
खान आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः–4086/एम0, पटना, दिनांक 26/10/18

प्रतिलिपिः–समाहर्त्ता, भोजपुर/सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर/मेसर्स ब्रॉडसन कॉमोडिटीज प्रा0लि0, हिमांशु कॉम्पलेक्सए ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, आरा/आई0टी0 मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव